/

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 08 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक 02/07/2026.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत रौलाखरक तिनगैर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0– 19494 / 2016)

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0–08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 52 / 2022 / एफ0सी0 / दिनांक 04.11.2025

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 7539 / 12–1, दिनांक– 24.06.2026 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है, कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

<u>संलग्न– उपरोक्तानुसार</u>

भवदीय

(चन्द्र शेखर जोशी)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

O/c

प्रतिहस्ता० 27/6

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182ई—मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 7539 / 12-1 अल्मोड़ा दिनांक 24/06/2026

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमांऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय — जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत रौलाखरक तिनगैर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 19494/2016)

सन्दर्भ — भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र सं0—08बी0/यू0सी0पी0/06/52/2022/एफ0सी0 दिनांक 04.11.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा बिन्दु सं0 1 में लगायी गयी आपत्ति के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के पास किया गया निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में स्थलीय निरीक्षण करते हुए मौके पर पायी गयी स्थिति के अनुसार ही आख्या उपलब्ध करायी गयी थी, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् पुनः प्रेषित किया जा रहा है—

1. The extent of the violation area, including its length and width.

आख्या— प्रस्तावित्त मोटर मार्ग के पास किये गये निर्माण कार्य का अधोहस्ताक्षरी द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया, मौके पर किया गया कटिंग कार्य वन पंचायत भूमि में होना पाया गया, जिसमें वन पंचायत प्रबन्ध समिति द्वारा देखभाल एवं कार्यवाही की जाती है। निरीक्षण में मौके पर सरपंच भी उपस्थित थे जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखण्ड द्वाराहाट द्वारा यह कटिंग कार्य किया गया है, जोकि कुल 0.945 किमी0 लम्बाई व 2 से 3 मी0 चौड़ाई में निर्माण कार्य किया जाना पाया गया है। प्रस्तावक विभाग प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा, जिनके द्वारा मोटर मार्ग हेतु प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड किया गया है के द्वारा कटिंग कार्य नहीं किया गया है। मौके पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण में वन पंचायत सरपंच को निर्देशित किया गया कि प्रकरण पर वन पंचायत नियमावली के अंतर्गत कार्यवाही की जानी है।

2. The Nature and details of violation .

आख्या— बिन्दु सं0 1 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। बिन्दु सं0 1 के तथ्य सम्मिलित करते हुए यह स्पष्ट है कि प्रस्ताक विभाग द्वारा कटिंग कार्य नहीं किया गया है, जिस हेतु सरपंच को निर्देशित किया गया । अतः प्रकरण पर प्रस्तावक विभाग के द्वारा एफ0सी0ए0 1980 का उल्लघंन नहीं हुआ है एवं **Local Laws** के तहत सरपंच द्वारा कार्यवाही की गयी है।

3. The action taken or proposed to be taken against the responsible agency/person(s),if any.

आख्या— प्रकरण पर एफ0सी0ए0 का उल्लंघन नहीं हुआ है एवं गाईडलाईन्स के अनुसार ऐसे प्रकरणों में ***Local Laws*** के तहत कार्यवाही की जाती है। वन पंचायत द्वारा वन पंचायत नियमावली 2005 (यथासंशोधित 2012 एवं 2024) की धारा 19(6) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए कार्यदायी संस्था/ठेकेदार से रू0 45000.00 का अर्थदण्ड वसूल कर लिया गया है, उक्त धनराशि से वन पंचायत द्वारा वृक्षारोपण कार्य भी करा लिया गया है।(अभिलेख संलग्न हैं)

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 7539 / 12-1 उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि— अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।